HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17345/2022

Manoj Kumar Soni Son Of Shankar Lal Soni, Aged About 42 Years, Resident Of Village Kalwani, Tehsil Deedwana, District Nagaur At Present Resident Of Shekhawat Colony, Behind Ram Leela Maidan Ward No. 21 Purana Sikar Police Station Kotwali Sikar, District Sikar
(Presently In Central Jail Sikar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vinay Mathur
For Respondent(s)	:	Mr. Ganesh Saini, PP Mr. Chhatrasal Singh Tanwar for Complainant

---

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

31/01/2023

प्रार्थी–अभियुक्त **मनोज कुमार सोनी** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली सीकऱ, जिला–सीकऱ (राजस्थान) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**476/2022** अपराध अन्तर्गत धारा 354, 420, 506 भा.द.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने यह कथन किया है कि हस्तगत मामले में अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। पीड़िता अभियुक्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) में राजीखुशी रह रही थी, उसके पश्चात उनमें मनमुटाव होने पर दोनों ने दिनांक 08.07.2022 को एक विवाह विच्छेद पांच सौ रूपए के स्टाम्प पर

लेखबद्ध कर आपसी सहमति से अलग अलग रहना निश्चित किया तथा अपना पूर्ण स्त्रीधन प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात् यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है, उसके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1- Rishabh Nagar Vs. State of Rajasthan (Raj.), 2021 (4) Cri. L.R. (Raj.) 1134, Dated 01.10.2021

2- Pramod Suryabhan Pawar Vs. The State of Maharashtra & Anr. (SC), 2019 AIR (SC) 4010, Dated 21.08.2019

3- Ranjeet Singh Vs. State of Rajasthan and ors. (Raj.), 2022 (3) RLW 2381, Dated 05.04.2022

4- Ansaar Mohammad Vs. State of Rajasthan & Anr. (SC), 2022 AIR (SC) 3478, Dated 14.07.2022

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने हस्तगत जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रकरण में अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है तथा पीड़िता की प्रकरण में स्वतंत्र सहमति नहीं थी, क्योंकि अभियुक्त ने उससे झूठ बोलकर कि उसकी पत्नी का तलाक हो गया है पीड़िता को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। पीड़िता ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है। अतः अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध बाद अनुसंधान अंतर्गत धारा 376 (2) (एन), 420, 506 भा.द.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 31.10.2022 से अभिरक्षा

में चल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पूर्व की कोई दोषसिद्धि की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सहअभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजू सोनी की जमानत विचारण न्यायालय द्वारा होना बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मनोज कुमार सोनी पुत्र शंकरलाल सोनी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J

Mahendra/14